संख्याः /**XII-3** / 2025 / 83(04) / 2022(ई–34645)

प्रेषक,

मायावती ढकरियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः सितम्बर, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 'बलधार (जौलजीवी) से दूती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य' की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1425 / निर्माण–8 / 2025–26, दिनांक 19.09.2025 एवं पत्र संख्या–1500 / निर्माण–8 / 2025–26, दिनांक 26.09.2025 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–08 घो0 / XII–2 / 2016 / 01(03) / 2016, दिनांक 16.03.2016, शासनादेश संख्या–338 / XII–3 / 2020 / 01(04) / 2016, दिनांक 08.09.2020, शासनादेश संख्या–652 / XII–3 / 2020 / 01(04) / 2016, दिनांक 01.01.2021, शासनादेश संख्या–780 / XII–3 / 2021 / 01(04) / 2016, दिनांक 28.09.2021, शासनादेश संख्या–179 / XII–3 / 2024 / 83(04) / 2022, दिनांक 04.03.2024 एवं शासनादेश संख्या–304 / XII–3 / 2024 / 83(04) / 2022, दिनांक 31.05.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत 'बलधार (जौलजीवी) से दूती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य' हेतु चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि रू0 38.40 लाख (**अडतीस लाख चालिस हजार मात्र**) स्वीकृत करते हुये आपके निवर्तन पर रखने / नियमानुसार निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847 / XXVII(1)/2016 दि0 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश सं0–1 / 287566 / E–79713 / 09(150)2019 / XXVII(1) / 2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति / यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।

(ii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों / प्रक्रियाओं तथा योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जायेगा।

(iv) उक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा एवं सड़क निर्माण कार्य के औचित्य एवं आंगणन हेतु स्वयं के स्तर से सुनिश्चित हो लिया जायेगा।

(v) नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(vi) निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम / प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय / प्रशासनिक प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

(vii) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य

माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
(viii) आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित शाखा को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
(ix) आहरण वितरण अधिकारीं तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
(x) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उन कार्यो में ही व्यय किया जाय, जिन कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।
(xi) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है आप भी अपने स्तर से अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
(xii) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/ XXX–1–12(25)2011, दि0–08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जायेगा।
2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम्य विकास–03–ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज–53–बृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1/287566/E–79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

Digitally signed by Mayawati Dhakriyal
Date: 30-09-2025 13:57:25

भवदीया,

(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

संख्याः (1)/XII-3/2025/83(04)/2022(ई–34645), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by Rajeev Tiwary
Date: 30-09-2025 16:16:03
(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।